न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 17 / 2023

प्रार्थी–
आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड, 201–202 द्वितीय तल, साउथ स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. भैरू सिंह पुत्र माधो सिंह उर्फ माधुसिंह पता राजपूतों का वास सावरडा करमावास समदड़ी जिला बाड़मेर
2. प्रकाश कंवर पत्नी भैरू सिंह पता राजपूतों का वास सान्वाडा करमावास समदडी जिला बाड़मेर
3. भरत सिंह पुत्र रूप सिंह पता बेलानगरी जिला सिरोही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.01.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी(गण) भैरू सिंह व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थी(गण) भैरू सिंह व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 13,80,000 /– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी(गण) ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थी(गण) सं. 1 से 3 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा भैरू सिंह के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नंबर 07 बुक नंबर 59 ग्राम पंचायत सांवरडा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर को प्रार्थी

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 17.10.2019 एवं 08.06.2021 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थी(गण) द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2022 तक बकाया शेष रूपये 14,67,302/– भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी(गण) का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी(गण) के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी(गण) के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थी(गण) को राशि रूपये 13,80,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थी(गण) बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थी(गण) से दिनांक 03.11.2022 तक कुल 14,67,302/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थी(गण) को पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन करवाया जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। *सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थी(गण) को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी(गण) द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी(गण) 1 से 3 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त ''भैरू सिंह के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति अवस्थित पट्टा नंबर 07 बुक नंबर 59 ग्राम पंचायत सांवरडा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर'' का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर